कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून

85–राजपुर रोड़, फोन–0135–2741630 Mail Id.pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या– पी.ओ. दिनांक, देहरादून, 14 सितम्बर, 2016,

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक / निदेशक,
समस्त वन प्रभाग एवं क्रियान्वयन अभिकरण,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय– कैम्पा योजना का कियान्वयन।

महोदया / महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में वर्तमान में वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों का वित्त पोषण कैम्पा परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इन कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी कार्यकारी इकाईयों को इसके परिचालन कि विषय में स्पष्ट जानकारी हो जिससे योजना के विषय में एकरूपता, पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उपरोक्त के क्रम में निम्न बिन्दु आपके संज्ञानार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किए जा रहे हैं।

1. वर्तमान में विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य MIS के द्वारा कैम्पा कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं जिस पर संबंधित वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक का अनुमोदन अपेक्षित होता है। बिना संबंधित मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन के ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। अतः संबंधित क्रियान्वयन इकाई के प्रभारी का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके सुसंगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन के साथ कैम्पा कार्यालय को निर्धारित समयावधि में अवश्य प्राप्त हो जाएं।

2. विभिन्न कार्यकारी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत मांग को संकलित कर उसका परीक्षण कार्यकारी समिति के स्तर पर किया जाता है तथा तदोपरांत इनमें से चयनित कार्यों को वार्षिक कार्ययोजना के रूप में संकलित कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। संचालन समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत इस प्रस्ताव को धनराशि अवमुक्त करने हेतु एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। एड–हॉक कैम्पा द्वारा जो धनराशि अवमुक्त की जाती है, वास्तव में वही धनराशि नये कराए जाने वाले कार्यों का आधार होती है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्यों की महत्ता एवं प्राथमिकता तय करते हुए विभिन्न कार्यकारी इकाईयों को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस कार्यालय द्वारा आवंटित किए जाते हैं जिस हेतु कैम्पा कार्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है।

3. उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यकारी समिति अथवा संचालन समिति के समक्ष किसी कार्य का अनुमोदन मात्र ही उसके कराए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है अपितु उस कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध होना तथा तद्नुसार इस कार्यालय द्वारा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य आवंटित होना भी अनिवार्य है।
4. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के यदि किसी भी क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कोई कार्य बजट की प्रत्याशा में किया जाता है तो यह प्रशसनिक एवं वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

5. कैम्पा के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि भी राजकीय धन है तथा इसके उपयोग में मितव्ययता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रत्येक सुसंगत अधिनियमों, नियमों तथा उच्च स्तर के आदेशों का अनुपालन अपेक्षित है। यदि किसी कार्य हेतु TAC अथवा अन्य उच्च स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है तो यह संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण के प्रभारी का दायित्व होगा कि वे कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसी प्रत्येक अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर लें। वर्तमान में

कतिपय कियान्वयन इकाईयों द्वारा आगणन कैम्पा कार्यालय को इस आशय से प्रेषित किए जा रहे हैं कि कैम्पा कार्यालय द्वारा इन आगणनों को TAC द्वारा परीक्षण अथवा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी, जो कि उचित नहीं है।

6. वर्तमान में कैम्पा योजना से वित्त पोषण हेतु अनेक प्रस्ताव विभिन्न कियावयन अभिकरणों द्वारा सीधे अथवा माननीय जन–प्रतिधियों के संदर्भ से कैम्पा कार्यालय को सीधे प्रेषित किए जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों के ऊपर तभी विचार किया जा सकता है जब ये वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित हों तथा सक्षम स्तर से इनका अनुमोदन प्राप्त किया गया हो। कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

7. कैम्पा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का मासिक लेखा classified विवरण के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कैम्पा कार्यालय को अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

8. कैम्पा योजना के अंतर्गत कार्यों की मॉनिटरिंग तृतीय पक्ष से कराई जा रही है। साथ ही मासिक लेखा का परीक्षण भारत के महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

9. भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कैम्पा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरण E-Green Watch Portal में अंकित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा धनराशि आवंटित करते समय इस बिन्दु का विषेश रूप से संज्ञान लिया जाता है। वर्तमान में हमारे प्रदेश की प्रगति इस बिन्दु पर अपेक्षाकृत कम है तथा इसे चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराए जाने की आवश्यकता है।

10. भारत सरकार द्वारा नये कैम्पा अधिनियम 2016 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगामी वर्ष से इस योजना का परिचालन इसी अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार किया जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि इन से भलीभांति भिज्ञ हो लें। विस्तृत विवरण उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाईट www.ukcampa.org.in पर उपलब्ध है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। पुनः निर्देशित किया जाता है कि बिना सक्षम स्तर की अनुमति तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की प्रत्याशा में कोई भी कार्य संपन्न न कराए जाएं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक– P.O. / 222 तद्‌दिनांकित
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा